

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी:-श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-16/2019 प्रार्थना पत्र

1-श्री जगदीश उर्फ कालू पिता प्यारा जाट, उम्र बालिग निवासी काणोली तहसील व जिला भीलवाड़ा  
(राजस्थान)

2-श्रीमति लाडू पत्नि श्री प्यारा जाट, उम्र बालिग निवासी काणोली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)

-----प्रार्थीगण

बनाम

1-श्री मोहन पिता चोखा जाट, उम्र बालिग निवासी काणोली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

2-श्रीमति राजू पत्नि भंवरलाल जाट, उम्र बालिग निवासी काणोली तहसील व जिला भीलवाड़ा  
(राजस्थान)

3-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-27.2.2019


वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम काणोली पटवार हल्का गठिलाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 103/1, 105/1, 918/98, 98/1, 94/2, 93/3, 91/2, 100 कुल कित्ता 8 रकबा 13 बीघा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 4.1.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 3 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 3 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 से 3 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 6.2.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में प्रार्थीगण के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आदेश ::

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा



प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम काणोली पटवार हल्का गठिलाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 103/1, 105/1, 918/98, 98/1, 94/2, 93/3, 91/2, 100 कुल कित्ता 8 रकबा 13 बीघा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, आटूण को 1300/-रूपये (एक हजार तीन सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)

आई.ए.एस.  
उपरखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

गया।



उपरखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा  
भीलवाड़ा